



रोजगार अधिसूचना

“प्रधानाचार्य” (नियमित) के पद के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

क्र० सं०	विवरण	प्रावधान
01	पद का नाम	प्रधानाचार्य - 01 पद (अनारक्षित)
02	वेतनमान और पद का वर्गीकरण	वेतन स्तर 13, (समूह 'अ' के बराबर)
03	भर्ती की विधि	सीधी भर्ती एवं अल्पकालीन संविदा/प्रतिनियुक्ति
04	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सामान्य वर्ग के लिए 53 वर्ष से अधिक नहीं (30/04/2023 तक) अन्य श्रेणियों के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार आयु में छूट लागू होगी। पर्यटन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष की छूट
05	पद का कार्यकाल	वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के अलावा, 2वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद मंत्रालय द्वारा अनिवार्य प्रदर्शन समीक्षा की जानी है। असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं। यह भर्ती के सभी माध्यमों पर लागू होगा।
6	नीचे दी गई श्रेणी 'अ' या श्रेणी 'ब' या श्रेणी 'स' के तहत आवश्यक और वांछनीय शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव	
61.	श्रेणी 'अ'	
61.1.	आवश्यक एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर (केंद्रीय/राज्य/मानित/एआईयू विदेशी संस्थान से समकक्ष पीजी) और(+) होटल प्रशासन/आतिथ्य प्रबंधन/होटल प्रबंधन/आतिथ्य प्रशासन/पाककला कला/पाककला विज्ञान में पूर्णकालिक डिग्री/पूर्णकालिक तीन वर्ष का डिप्लोमा कुल मिलाकर न्यूनतम %55 अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड: i) एनसीएचएमसीटी या एनसीएचएमसीटी संबद्ध संस्थान; या ii) एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान; या iii) राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थान; या iv) यूजीसी द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान; या v) यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय/राज्य/मानित विश्वविद्यालय; या vi) एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान की समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता :पीएच०डी० डिग्री

61.2.	आवश्यक कार्य अनुभव	<p>आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के अलावा, कम से कम 20 वर्ष (बीस) का अनुभव:</p> <p>i) एनसीएचएमसीटी से संबद्ध होटल प्रबंधन संस्थान या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित संस्थान या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थान में विभागाध्यक्ष/समकक्ष शिक्षण के साथ न्यूनतम 3 वर्ष का अध्यापन (कुल अध्यापन 20 वर्ष) मान्यता प्राप्त फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य के रूप में अनुभव को विभागाध्यक्ष के बराबर माना जाएगा ।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>ii) शिक्षण और होटल उद्योग एक साथ (20 वर्ष), किसी संस्थान में न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव जैसा कि ऊपर (i) में बताया गया है तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित 4-सितारा या उससे ऊपर की श्रेणी के होटल में महाप्रबंधक स्तर पर 5 वर्ष का अनुभव।</p>
62.	श्रेणी 'ब'	
62.1.	आवश्यक एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	<p>यूजीसी के तहत किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन/पर्यटन में दो वर्ष की पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित/एआईयू द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय/संस्थान से समकक्ष डिग्री/डिप्लोमा, कुल मिलाकर न्यूनतम %60 अंकों के साथ या इसके समकक्ष ग्रेड।</p> <p>वांछनीय योग्यता :पीएच.डी .डिग्री</p>
62.2.	आवश्यक कार्य अनुभव	<p>(i) <u>निजी क्षेत्र के लिए</u> :</p> <p>आतिथ्य/पर्यटन उद्योग में कार्यकारी क्षमता में प्रतिष्ठित संगठन से कम से कम 17 वर्षों के अनुभव के साथ प्रमाणिक ट्रैक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के साथ-साथ न्यूनतम 3 वर्षों का शिक्षण/प्रशिक्षण अनुभव भी आवश्यक होगा (कुल 20 वर्ष), जिसमें से न्यूनतम 7 वर्ष प्रबंधकीय होना (जिसमें से महाप्रबंधक के रूप में कम से कम 5 वर्ष) होना चाहिए, निजी क्षेत्र की कंपनियों /फ़र्मों में जिनका टर्नओवर पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक में प्रति वर्ष रु०100 करोड़ से कम न हो।</p> <p style="text-align: center;">या</p> <p>(ii) <u>सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के लिए</u> :</p> <p>(अ) अधिकारियों के पास प्रदर्शित क्षमता के साथ कम से कम 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण/प्रशिक्षण अनुभव भी शामिल है।</p> <p>(ब) पीएसयू/स्वायत्त निकायों में वेतन स्तर 13 या इसके समकक्ष पद धारण करना या पीएसयू/स्वायत्त निकायों में वेतन स्तर 12 या इसके समकक्ष में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव।</p>

63.	श्रेणी 'स' प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध के लिए	
63.1.	आवश्यक एवं वांछनीय शैक्षणिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन/पर्यटन में दो वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री/मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा। वांछनीय योग्यता :पीएच.डी .डिग्री
63.2.	आवश्यक कार्य अनुभव	अ) सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकायों के अधिकारी जिनके पास वेतन स्तर 13 या इसके समकक्ष स्तर पर काम करने का नेतृत्वकारी भूमिका में प्रमाणिक ट्रैक रिकॉर्ड हो या पीएसयू/स्वायत्त निकायों में वेतन स्तर 12 या इसके समकक्ष स्तर में न्यूनतम 5 वर्षों का कार्य अनुभव। ब) प्रतिनियुक्ति, डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित की जाएंगी। सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष की होगी।
7	परिरीक्षा की अवधि ,यदि कोई हो	एक वर्ष

सामान्य निर्देश

- उपरोक्त पदों पर केंद्र सरकार के तहत स्वीकार्य सामान्य भत्ता दिया जाएगा। पद गैर-पेंशन योग्य है परन्तु इसपर नियमानुसार नई पेंशन योजना लागू है।
- **सेवानिवृत्ति की आयु** : सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष या संस्थान में समय-समय पर लागू नियमानुसार होगी।
- संस्थान की वेबसाइट www.ihmlucknow.com पर उपलब्ध आवेदन पत्र के साथ प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियों और हालिया पासपोर्ट आकार की तस्वीर के साथ सभी तरह से पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, **अध्यक्ष, होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान लखनऊ, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ-226024 उत्तर प्रदेश** के कार्यालय में दिनांक 30.11.2023 तक पहुंचना चाहिए।
- सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वयत्त संगठन में कार्यरत उम्मीदवार जो सीधी भर्ती के आधार पर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें "**उचित माध्यम से**" आवेदन करना होगा या साक्षात्कार के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से '**अनापत्ति प्रमाणपत्र**' प्रस्तुत करना होगा।
- साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार को कोई यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- अपूर्ण एवं देर से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक में किसी भी देरी के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- सक्षम प्राधिकारी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार/स्वीकार करने और रिक्ति भरने या न भरने या फिर से विज्ञापन देने का अधिकार सुरक्षित है।
- आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि 30.04.2024 होगी।
- आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए, किसी भी ई-मेल आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण ही अंतिम माना जाएगा।

एस/डी
सदस्य सचिव